

SUMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

IN THE COURT OF – Judicial Magistrate First Class Panna, Distt.- Panna M.P.

CASE NO- SUM 655 /2026

Cpmplaint or report made on **PS Amanganj** te and address of accused

अभियुक्त-लोकेन्द्र सिंह गौर पिता विश्वनाथ सिंह गौर उम्र-30 वर्ष

निवासी रामपुर थाना पवई जिला पन्ना

The offence complained of, and date of its alleged commission--

यह कि आपने दिनांक 29.07.2026 को 20:40 बजे, थाना अमानगंज अन्तर्गत कैप्टन ढाबा के सामने ग्राम विक्रमपुर थाना अमानगंज में 37 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा एवं 4 बॉटल बीयर अपने अधिपत्य में बिना किसी वैध अनुमति के रखे पाए गए।

इस प्रकार आपने म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) आबकारी अधि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया। आपको अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो ?


कृष्णा बोहरा
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी,
पन्ना, जिला पन्ना म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)---

अभियुक्त का अभिवाक्- आरोप स्वीकार है ।

लोकेन्द्र सिंह


कृष्णा बोहरा
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी,
पन्ना, जिला पन्ना म.प्र.



*The offence proved If any and in case under clause (d), clause (e), clause(f) or clause (g), of sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

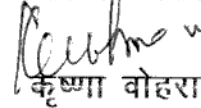
—: निर्णय :—

(आज दिनांक 12.08.2026 को घोषित किया गया)

- (1) अभियुक्त **रामेश्वरी अग्निहोत्री** पर म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) आबकारी अधि. के अंतर्गत अपने आधिपत्य में विधि विरुद्ध मदिरा रखने का आरोप है।
- (2) उक्त अपराध की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अभिकथित अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया है जिस पर तदनुसार उसका अभिवाक अंकित किया गया।
- (3) अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति के कारण चूंकि साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है अस्तु उसकी स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया जाकर **न्यायालय उठने तक के कारावास** एवं धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम में **2200 /—रुपए (दो हजार दौ सौ रुपये)** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है
- (4) अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम की स्थिति में अभियुक्त 07 दिवस का साधारण कारावास की सजा भोगने का दायी होगा।
- (5) प्रकरण में जप्तशुदा 37 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे एवं 4 बॉटल बीयर विधिवत निराकरण हेतु आबकारी विभाग को वापस की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

दिनांक 12.08.2026

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।


कृष्णा बोहरा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला—पन्ना म.प्र.